



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6704/2025

तौफीक

..... आवेदक(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,विपक्षी
पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अतुल कुमार सिंह गौर, सुशील
प्रकाश पांडेय

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय
अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन आवेदक के द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की
गई है, कि प्राथमिकी/मुकदमा अपराध संख्या 86/2025, अनतर्गत धारा
8/21/21बी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना
पटरांगा जिला अयोध्या में दर्ज मामले में मुकदमे के विचारण के दौरान
जमानत पर रिहा की जाय।

अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 260 ग्राम स्मैक
बरामद की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और
उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित बरामदगी झूठी और
मनगढ़ंत है। इसके अलावा, बरामद की गई प्रतिबंधित मात्रा व्यावसायिक
मात्रा से थोड़ी अधिक है। इस बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया
जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि आवेदक की व्यक्तिगत तलाशी के समय राजपत्रित अधिकारी उपस्थित नहीं थे। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी लाल बाबू को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4622/2025 के मामले में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का 13 आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका जमानत आवेदन के पैरा 22 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है और वह 7.5.2025 से जेल में है। जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से अधिक है।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय संतुष्ट है कि (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) आवेदक द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, प्रथम दृष्टया स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित दोनों शर्तें पूरी होती प्रतीत होती हैं और बरामद प्रतिबंधित सामग्री व्यावसायिक मात्रा से थोड़ी अधिक है; आवेदक 7.5.2025 से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जेल में है; आवेदक का आपराधिक इतिहास विधिवत स्पष्ट किया जा चुका है; सह-आरोपी लाल बाबू को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त मामले में आरोपित आवेदक **तौफीक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (iv) आवेदक यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।
- (vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।